

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-12-10/2024 198 पटना, दिनांक:- 11.4.25

श्रीमती योगमाया देवी, सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को निम्नांकित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है:-

(i) बिहार सेवा संहिता के नियम-232 एवं 234 के तहत चिकित्सा कारणों से दिनांक-21.03.2023 से 23.08.2023 तक कुल 156 दिनों का रुपांतरित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। इसका विकलन 312 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश से किया जाएगा।

(ii) बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत चिकित्सा कारणों से दिनांक-24.08.2023 से 11.09.2023 तक 19 दिनों तथा अन्य कारणों से दिनांक-11.09.2014 से 13.09.2014 तक 03 दिनों अर्थात् कुल 22 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के अवर सचिव
पटना, दिनांक:- 11.4.25

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-12-10/2024 4108

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-12-10/2024 4108

पटना, दिनांक:- 11.4.25

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-04, पूर्णियाँ, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा/श्रीमती योगमाया देवी, सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव